International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
An International Quarterly bi-lingual Multidisciplinary Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal
ISSN:2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555 & I2OR: 5.105), Volume 08, No. 04(I), October-December, 2026, pp. 112-118

भारत में पर्यावरण प्रदूषण एवं समाधान, जांभोजी के साहित्य की प्रासंगिकता

डॉ. प्रीतम राज*

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली।

*Corresponding Author: pritamraj.8121983@gmail.com

Citation: राज, प्रीतम (2026). भारत में पर्यावरण प्रदूषण एवं समाधान, जांभोजी के साहित्य की प्रासंगिकता. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(04(I)), 112–118.

सार

भारतीय संविधान आम आदमी को मूल अधिकार प्रदान करने को सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है। मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए न केवल इनका उल्लेख संविधान में मूल अधिकारों के रूप में एक स्पष्ट और अलग प्रावधान के द्वारा किया गया है बल्कि समय–समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से भी इनकी व्यापक व्याख्या दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय–समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से आम आदमी के जीवन के लिए उपयुक्त मूलभूत परिस्थितियों का उल्लेख किया है। इसी का एक उदाहरण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वस्थ पर्यावरण में जीवित रहने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है अर्थात् स्वच्छ पर्यावरण में जीना प्रत्येक भारतीय का मूल अधिकार है। आज की बदलती परिस्थितियों में व्यक्ति ने दिखावा और उपभोक्तावादी जीवन को प्राथमिकता में लिया है। इसी की बदोलत आज हम एक दूषित पर्यावरण में जी रहे है। भारत सरकार ने नाम आदमी के प्रति अपनी संवेदशीलता का परिचय देते हुये समय–समय पर सकारात्मक प्रयास किये है। मैं इस शोध पत्र के माध्यम से पर्यावरण के समक्ष विद्यमान चुनौतियां तथा उनके निदान के लिये भारत सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को संक्षिप्त में उल्लेखित करने का प्रयास कर रहा हूँ साथ ही राजस्थान के महान पर्यावरण वेत्ता जाम्भोजी के विचारों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील चेतना को रेखांकित करने का प्रयास कर रहा हूँ।

शब्दकोश: *संविधान, प्रदूषण, पर्यावरण, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, सतत् विकास, प्राकृतिक संसाधन, जन्म संहिता, खेजड़ली।*

प्रस्तावना

भारत देश विश्व में एक जीवंत लोकतंत्र, जिम्मेदार परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षमताओं के साथ विविधताओं से सम्पन्न देश के रूप में प्रसिद्ध है। भारतीय लोकतंत्र को विश्व स्तर पर सम्मान मिलने के बीज भारतीय संविधान की सतत् और संपोषणीय क्षमताओं में विद्यमान है। भारतीय संविधान मूलतः सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में सतत् प्रयत्नशील रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो कि भारतीय संविधान के मूलभूत आदर्शों का संकलन भी है, सामाजिक, आर्थिक न्याय का जीवंत उदाहरण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लेखित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार को व्यापकता प्रदान करते हुए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय मेनका गाँधी बनाम भारत संघ में "स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण

Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.

रहित जल एवं वायु में जीने के अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरूद्ध सुरक्षा" को भी इसमें समाहित किया है। भारतीय संविधान के नीति–निर्देशक तत्व सामान्य अर्थों में आने वाली सरकारों के लिए कुछ मूलभूत निर्देश है जो कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय न होने के बावजूद भी प्रशासन में प्रभावशाली मार्गदर्शन का काम करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के तहत भी संपोषणीय पर्यावरण के लिए कुछ प्रशंसनीय निर्देश भारतीय संविधान के द्वारा आने वाली सरकारों को दिये गये है। नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देश देते है कि वह पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्द्धन के साथ वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए भी कार्य करेगा। (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 अ)

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के माध्यम से केन्द्र सरकार को पर्यावरण के स्तर का बचाव, नियंत्रण व प्रदूषण को कम करने की दिशा में कदम उठाने का पूर्ण अधिकार है।

राष्ट्रीय वन नीति 1988 भारत सरकार का वनों का संतुलित विकास करने की दिशा में एक संतुलित प्रयास है। इसके माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकारों का साझा सहयोग लेकर वन संरक्षण एवं वन संवर्द्धन के लिए उचित प्रावधान किए गए है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1985 में गंगा कार्य योजना के रूप में इसका प्रारम्भ किया गया तथा 1995 में इसका विस्तार करते हुए अन्य नदियों को भी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में सम्मिलित किया गया। इसका प्रधान ध्येय नदियों के जल की गुणवत्ता सुधारना है।

राष्ट्रीय वनरोपण तथा पर्यावरण विकास बोर्ड देश में वन रोपण, पौध रोपण, पर्यावरण की बहाली और पर्यावरण के विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया है। यह बोर्ड पूरे भारत स्तर पर अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से वन संरक्षण और संवर्द्धन के लिए संतुलित प्रयास करता है साथ ही इस दिशा में नवाचारों को लागू करने के लिए प्रयासरत है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण– की स्थापना पर्यावरण संरक्षण तथा वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र निपटान के उद्देश्य से 18 अक्टूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गयी। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनों को लागू करना और व्यक्तियों तथा संपत्ति को हुए नुकसान को राहत और मुआवजा दिलाना शामिल हैं। इसके साथ–साथ भारत सरकार के द्वारा कुछ अन्य संस्थाऐं भी गठित की गयी है। जो इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रही है।

इस प्रकार भारत सरकार समय–समय पर अपने सराहनीय प्रयासों के माध्यम से भारत के आमजन के लिए एक संतुलित स्वच्छ पर्यावरण बनाने के लिए प्रयासरत है। उपर्युक्त वर्णन एक तरफ सकारात्मक प्रयासों को उल्लेखित करता है तो दूसरी तरफ लगातार हो रहे पर्यावरणीय पतन का भी आभास दिलाता हैं। मानवीय सभ्यता के निरंतर होते विकास ने मानव को स्वार्थ लोलुप तथा भौतिक सुखों का अंधानुकरण करने के लिए विवश कर दिया है। आज का मानव जीवन को अधिकतम आनंदमय बनाने की अंतहीन प्रतियोगिता में लगा हुआ है। इस प्रतियोगिता में मानव ने अपने पर्यावरण, समाज, राष्ट्र तथा आने वाली पीढ़ियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों तथा कर्त्तव्यों से मूँह मोड लिया है। इसी का परिणाम है कि आज विश्व पर्यावरण प्रदूषण रूपी त्रासदी का सामना कर रहा है। पर्यावरण प्रदूषण ने अपने अनेक आयामों के रूप में प्रकृति का व्यापक स्तर पर विनाश किया है। जैसे कि–

जल प्रदूषण मानव द्वारा जल में फैलाया जा रहा जहर है। विश्व में उपलबध जल का 3 प्रतिशत मात्र ही पेयजल के लिए उपयोग किया जा सकता है। शेष जल समुद्री जल के साथ हिमानी के रूप में उपलब्ध है। मानव अपनी स्वार्थ लोलुप प्रकृति के कारण निरन्तर औद्योगिकीकरण के द्वारा पेयजल के विभिन्न स्त्रोतों में अनेक प्रकार के प्रदूषक तत्वों को फैला रहा है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नांकित हैंः–

जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारक

- बहते हुए जल में खनिज तथा अपशिष्ट पदार्थ मिलकर जलाशयों में पहुँच जाते हैं।
- औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में विद्यमान कुछ विषैले तत्व जैसे कि पारा, आर्सेनिक, सीसा, केडमियम, आदि जल में घुल–मिलकर उसे हानिकारक बनाते हैं।

मानव जनित स्त्रोत

- मृत पशुओं को जल में निस्तारित करना।
- घरेलू तथा सार्वजनिक शौचालयों का जल में निस्तारण।
- अज्ञानतावश नदियों तथा तालाबों में नहाना तथा मल त्याग करना।
- उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को सीधे ही जलाशयों में छोड़ देना।
- तैलीय प्रदूषण, उद्योगों से, जहाजों से तथा समूद्री दुर्घटनाओं से फैल रहा है।
- उद्योंगों तथा बड़े औद्योगिक संयंत्रों से निस्तारित गर्म पदार्थ जल का तापीय प्रदूषण करते है।
- रेडियों एक्टिव अपशिष्ट नाभिकीय विस्फोट के उपरांत वायु में फैले बारीक कण के रूप में धीरे–धीरे जलाशयों में गिरते रहते है तथा जल को प्रदूषित करते रहते हैं।

जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैः–

- जल में ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीव मरने लगते हैं तथा पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होता है।
- फ्लोराइड युक्त जल पीने से पालतू तथा वन्य जीवों के साथ मानव की भी हड्डियों तथा दाँतों का क्षय होता है।
- जल प्रदूषण से जल में काई तथा अनेक प्रदूषक तत्व सूर्य की रोशनी को गहराई तक नहीं पहुँचने देते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधिक करते है तथा पौद्यों की वृद्धि रूप जाती है।

जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित हैः–

- घरेलू अपशिष्ट जल को जलाशयों में न मिलने दिया जाएं।
- अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों में निस्तारित नहीं किया जाएं।
- पशुओं को जलाशयों में नहीं नहलाया जाएं।
- ऑक्सीजन पृथ्वी पर जीवन का आधार है।

वायु प्रदूषण के स्त्रोत

- **प्राकृतिक स्त्रोत–** वायु प्रदूषण, आँधी, तूफान के समय उड़ती हुई धूल से, ज्वालामुखी से निकली राख से, वनों में लगी आग से, दल–दल तथा कीचड़ भरे क्षेत्रों से होने वाली जैविक व रासायनिक क्रियाओं के दौरान निकलने वाली गैसों, फसलों से उत्पादित परागकणों आदि से होता है।

  यह प्रदूषण कम मात्रा में होता है तथा इसका निदान भी प्राकृतिक रूप से स्वतः ही हो जाता है।

- **ताप विद्युत घरों में दहन–** ताप विद्युत घरों में ताप की प्राप्ति के लिए कोयला, लिग्नाइट जलाया जाता है। इससे बड़ी मात्रा में सल्फर डाई–ऑक्साइड, कालिख आदि अवशिष्ट पदार्थ हवा में छोड़े जाते हैं।
- **वाहनों में दहन–** परिवहन के सभी साधनों, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, रेल, वायुयान आदि सभी साधनों को चलाने में पेट्रोल या डीजल काम आता है। इंजन में दहन के बाद इसके निर्वात पाइप से निकलने वाले धुएं में सूक्ष्म कार्बन कण, नाईट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड आदि विषैली गैसे विद्यमान होती है। जनसंख्या वृद्धि तथा बढ़ता शहरीकरण लगातार वाहनों की संख्या को बढ़ाता जा रहा है। बड़े शहरों का प्रतिदिन का प्रदूषण स्तर खतरे के स्तर से ऊपर ही उठता जा रहा है।

- **उद्योगों में दहन–** सभी उद्योगों में पिघलाने, पकाने, गलाने तथा वाष्पन आदि के लिए भट्टियां लगाई जाती है। इनमें ईंधन के रूप में कोयला, लकड़ी आदि का दहन होता है। इसके परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण होता है।

कृषि कार्यों में आजकल कई प्रकार के कीटनाशक, छिड़के जाते है। डी.डी.टी. आदि पाउडर भी छिड़के जाते है। ये सभी हानिकारक पदार्थ वायु में मिलकर उसे जहरीला बनाते हैं।

- **विलायकों का प्रयोग–** फर्नीचरों की पॉलिश, स्प्रे पेन्ट आदि में कार्बनिक विलायकों का उपयोग होता है। ये विलायक उपयोग के समय वाष्पिक होकर वायु में मिल जाते है।

वायु प्रदूषण वायु के साथ–साथ आसानी से दूर–दूर तक फैलता है। इसके विपरीत प्रभाव निम्नांकित है–

- **मानव स्वास्थ्य पर–** सांस के माध्यम से दूषित वायु फेंफड़ों में जाती है। वायु में उपस्थित कार्बन मोनोक्साइड रक्त की होमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हिमोग्लोबीन बनाती है। दूसरी तरफ श्वास के माध्यम से सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड शरीर में प्रवेश कर ब्रॉन्काइटिस, दमा, आँखों में जलन, बच्चों में सांस की तकलीफ व संक्रमण को बढ़ाती है।

मनुष्य की तरह ही जीव जन्तुओं पर भी वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव होता है। कुछ तितलिया तथा मधुमक्खियां वायु प्रदूषण से समाप्त हो जाती हैं साथ ही यह फसलों के लिए भी लाभदायक नहीं है। साथ ही वन्यजीवों में श्वसन द्वारा दूषित वायु के प्रवेश से श्वसन तन्त्र तथा तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हो जाते है।

- **ग्लोबल वार्मिंग–** एक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले पचास वर्षों से पृथ्वी के तापमान में 10^0C की वृद्धि हुई है। सामान्य अर्थों में पृथ्वी के तापमान में हो रही लगातार वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते है। इसके कारण वातावरण में अनेक अवांछनीय बदलाव सामने आए है।

बिना लैड़ का पेट्रोल उपयोग में लेकर।

उद्योगों से निकलने वाले धुएं को चिमनियों के माध्यम से कम विषैला बनाया जाए।

- **ध्वनि प्रदूषण के स्रोत–** शहरी क्षेत्रों में मोटर वाहनों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः मुख्य मार्गों से गुजरने वाले, मुख्य बाजारों, मार्गों आदि के पास भवनों में रहने वाली जनसंख्या, बसों, मोटरसाईकिलों, जीपों, कारों आदि के ईंजन तथा होर्न के शोर तथा ध्वनि से उत्पीड़ित रहती है।

ध्वनि प्रदूषण मानव जीवन के लिए कई प्रकार के दुष्प्रभावों को जन्म देता है।

  - अधिक शोर से चिड़चिड़ापन, थकान, सिरदर्द आदि के लक्षण उत्पन्न होते है।
  - शोर व्यक्ति की कार्यक्षमता तथा एकाग्रता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अस्पताल तथा शिक्षण संस्थाओं के समीप विद्यमान ध्वनि प्रदूषण क्रमशः मरीजों तथा विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण को विकृत करता है। उद्योगों में लगातार तीव्र शोर के कारण वहां कार्य करने वाले मजदूरों तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य व श्रवण शक्ति को प्रभावित करता है तथा बहरापन की समस्या को जन्म देता है। तीव्र ध्वनि से न केवल कानों पर, बल्कि हृदय गति तथा रक्त वाहिनियों का संकुचन, रक्त चाप में परिवर्तन, मांस पेशियों में तनाव आदि दुष्प्रभाव पड़ते हैं। कुछ सावधानियों तथा संयम के द्वारा हानिकारक प्रभावों से बचा जा सकता है। जैसे कि– आधुनिक तकनीकि उपकरणों की मदद से जैसे कि टाईपराइटर के स्थान पर कम्प्यूटर से टाईपिंग के द्वारा अनावश्यक खट–पट की आवाज से बचा जा सकता है। यातायात के नियमों का यथाासमय पालन करने से अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है।

जलीय–तापीय प्रदूषण के कारण

- ध्रुवीय क्षेत्रों में लगातार बर्फ का पिघलना।
- समुद्र के जल स्तर में होती वृद्धि।
- हिमालय के शिखरों पर जमी बर्फ पिघलने से समुद्र जल स्तर का लगातार बढ़ना तथा तटीय क्षेत्रों में डूबने का खतरा। समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों मं लगातार तूफानों का बढ़ना। जलाशयों के तापमान में अनियमित वृद्धि।
- समस्थानिकों के उत्पादन के समय अपशिष्ट पदार्थ के रूप में।
- नाभिकीय हथियारों के बनने व उपयोग के दौरान।
- असामान्य शिशुओं का जन्म तथा त्वचा रोग आदि रेडियोधर्मी विकिरणों के प्रभाव से होते हैं।
- हड्डियों की विकृतियों, मंदबुद्धिता भी रेडियोधर्मी विकिरणों से होते हैं।

नाभ प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

निम्न कुछ उपायो के माध्यम से इनके हानिकारक प्रभावों से बचा जा सकता है–

- उद्योगों के द्वारा इस प्रकार के अपशिष्टों को अत्यधिक ऊँचाई पर छोड़ा जाए। शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के रूप में बड़ी मात्रा में कचरा प्रतिदिन निकलता है। इसके साथ–साथ उद्योगों द्वारा भी बड़ी मात्रा में अपशिष्ट निकलते हैं। इनका उचित प्रबन्धन न होने के कारण भू–प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में उत्पन्न होता है।
- **ठोस अपशिष्ट के कारक तथा स्रोत कृषि अपशिष्ट–** खेतों में कृषि अपशिष्ट के रूप में बचे डंठल, घास–फूंस, बीज आदि तो जैव अपघटीय होने के कारण पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है लेकिन ज्यादा मात्रा में इनके ढेरों को खुला छोड़ दिया जाने की दशा में द्वितीयक प्रदूषण के रूप में मच्छर, मक्खियां तथा बदबू आदि के रूप में विनाशकारी परिणाम के रूप में सामने आते है।

धातुओं के खान से निकला धात्विक अपशिष्ट।

ठोस अपशिष्टों के प्रभाव

- ठोस कचरे पर जल गिरने से वह सड़ने–गलने लगता है तथा गंदगी, दलदल तथा बीमारियों को जन्म देता है।
- औद्योगिक अपशिष्टों द्वारा मृदा की संरचना में हानिकारक परिवर्तन हो जाते है।
- जैविक कचरे को बायो–गैस तथा विद्युत उत्पादन में काम में लेना चाहिए।
- खनन अपशिष्टों को गर्तों के पुनर्भरण में काम में लिया जाना चाहिए।
- सीवरेज जल आदि की उचित यंत्रों द्वारा सफाई कर सिंचाई के काम में लेना।

भारतीय संस्कृति सदेव पर्यावरण की पोषक रही है। इस दिशा में राजस्थान के महान संत एवं प्रकृति प्रेमी जाम्भोजी एक विश्वविख्यात शख्तियत के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपने विचारों एवं प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रयास किए हैं।

गुरु जाम्भोजी और विश्नोई पंथ के लोगों द्वारा रचित साहित्य समग्र रूप से जाम्भाणी साहित्य कहलाता है। जांभाणी साहित्य में प्रकृति सम्बंधी बातें विशेष रूप से मिलती है। विश्नोई धर्म के नियम और प्रकृति के तत्वों में वृक्ष जीव रक्षा प्रमुख रूप में शामिल है। गुरु जाम्भोजी के बाद जो संत हुए उन्होंने पर्यावरण व जीव रक्षा के लिए लोगों को सदैव प्रेरित किया।

गुरु जांभोजी ने जीव संरक्षण के सम्बन्ध में उन्तीस नियम के संकलन के अन्तर्गत तथा दया जैसे मूल्य विवेचन में विस्तृत उल्लेख किये है। दया का उल्लेख उन्होंने अनेक बार किया। इनकी दृष्टि में दया, धर्म का पालन परमात्मा प्राप्ति का एक साधन है, दया भाव हृदय की उदारता का घोतक एवं भेदभाव का भेदक है। एक सबद में कहा गया है–

काया भीतर माया आछै। माया भीतर दया आछै।

दया भीतर छाया आछै, भीतर बिंब फलूं।।

इसी दया को वे शील का अंग मानते हैं और वन्य संरक्षण की तरफ बढ़ते है। हृदय में प्रत्येक प्राणी के प्रति दया भाव रखना तथा जीव दया पालन करना भी बताया है। विश्नोई धर्म के नियमों को पालन हेतु वील्होजी ने बत्तीस आखड़ी लिखी– राजस्थान में आखड़ी का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, नियम–

"जीव दया नित राख, पाप नहीं कीजिये।

जांडी हिरण संहार देख सिर दीजिये।।"

भारत व विश्व में आज लोग इस बिगड़ते हुए पर्यावरण को देखकर चिंतित है और पेड़ों के रक्षार्थ चिपको आन्दोलन का कार्य भी जांभोजी के अनुयायियों ने किया।

विश्नोई समाज की दृष्टि में जांभोजी को भगवान विष्णु का अवतार मानते है। जांभाणी साहित्य इस कथन का प्रमाण है। इनका जन्म सम्वत 1508 भादवा वदी 8 को नागौर परगने के पींपासर नामक गांव में हुआ था। उन्होंने सम्वत 1542 में उपदेश दिये। "जीये को जुगती व मुए को मुगती" की अभिलाषा वालों को विश्नोई बनाया और उन्होंने 29 नियमों की एक आचार संहिता दी। मूलतः उन्होने भगवान विष्णु की उपासना और स्मरण को बताया, जिसके कारण उनके अनुयायी विश्नोई कहलाऐं।

इनके 29 नियमों में एक नियम 'जीव दया पालणी रूख लीलो नहीं घावे' अर्थात जीवों पर दया करें साथ ही वृक्षों में जीव होना बताया। इतिहास में वे पहले दार्शनिक थे जिसने वृक्षों को चेतन बताया और उनकी रक्षा हेतु उपदेश दिया। उनके द्वारा उपदेशित धर्म की अनुपालना के परिणामस्वरूप आज से करीब 300 वर्ष पूर्व जोधपुर में स्थित खेजड़ली नामक गांव के खेजड़ी वृक्षों की रक्षा में 363 लोग शहीद भी हुए जिनमें अमृता विश्नोई नामक महिला ने सर्वप्रथम अपने प्राण त्यागे और खेजड़ी को आंच तक नहीं आने दी थी, तत्कालीन राजा के महल बनाने में आवश्यक लकड़ी के लिए उनके राज्य कर्मचारी वृक्षों को काटने हेतु खेजड़ली गांव आये जिन्हें एक भी वृक्ष नहीं काटने दिया। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि विश्नोई धर्म समाज में कितनी आस्था थी। उन शहीदों का नारा था– "सिर सांठे रूंख रहे तो भी सस्तो जाण" यानि सिर कटने पर भी वृक्ष बचे तो भी इसे सस्ता सौदा मानना चाहिए।

ईश्वर ने हमें तीन चीजें दी है– तन–मन और जीवात्मा तीनों में सामंजस्य होना अतिआवश्यक है। प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तम में संतुलन होना आवश्यक है। जांम्भोजी ने सबद वाणी के हा – 'तन मन धोइए संजम होइए रहष न खोइये' मनुष्य का तन स्वरूप हो, मन प्रसन्न हो, मन में शांति हो, तभी इसका अन्तकरण हृदय निर्मल होगा, तभी उसे अपने जीवन में आनन्द की अनुभूति होगी। तन–मन, जीवात्मा तीनों के मध्य मन है जो चंचल होने के कारण कभी तन, कभी जीवात्मा देखता है। तन से प्रीति हुई तो वह जगत की ओर चलेगा, जीवात्मा से प्रीति हुई तो वह जगदीश की ओर चलेगा। इस तरह भोग और रोग मिलेगा तो दूसरी और त्याग व योग मिलेगा। तन को निर्णय करना है कि वह किस और चलेगा अर्थात् मानव जीव में मन ही मुख्य है।

विश्व के सभी प्राणियों का शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है– आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। इन पांचों तत्वों की दूषित होने से रोकने में वह असमर्थ है अन्न से ही मन बनता है और अन्न, जल इत्यादि दूषित है, फिर दूषित वातावरण में पला प्राणी पर्यावरण की रक्षा केसे कर सकेगा? भगवान जांभोजी का मानव

जाति के लिये संदेश है कि पहले भीतर की शुद्धि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सफाई करेगा, तो फिर बाहर की सफाई अर्थात् पर्यावरण आसानी से संरक्षित रह सकेगा। मनुष्य को प्रतिदिन हवन करना, पानी और दूध हमेशा छान कर प्रयोग में लेना वन्य प्राणियों व पेड़ों की रक्षा, खान–पान का ध्यान रखना चाहिए। बाहरी और आंतरिक पवित्रता, काम, क्रोध, लोभ मोह आदि सहित अंतकरण कर्म एवं उपासना के अभ्यास से शुद्ध करना। सबदवाणी एवं उनके नियमों की पालना करना। इसी से हमारे आचार–विचार ठीक होंगे इसी से विश्व बन्धुत्व जीवन जी सकेगा।

निष्कर्ष

उपर्युक्त वर्णित अपने शोध पत्र के माध्यम से पर्यावरण की विस्तृत व्याख्या करने के साथ–साथ उनके समक्ष विद्यमान चुनौतियों, समाधान तथा भारत सरकार द्वारा किये जा रहे सकारात्मक प्रयासों पर प्रकाश डालने का गंभीर प्रयास किया गया है तथा जनमानस तक सादा जीवन और उच्च विचारों को अपनाकर उपभोक्तावादी संस्कृति से दूर रहने का संदेश देने का प्रयास किया है।

इस लेख में जाम्भोजी और विश्नोई पंथ के लोगों द्वारा रचित जाभोणी साहित्य के कुछ अंश समाहित करने का प्रयास किया गया है। इस लेख के माध्यम से मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि जाम्भोजी तथा विश्नोई पंथ के लोगों के जाम्भाणी साहित्य की पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बेहद गहरी एवं समर्पित रही है। जाम्भोजी एवं उनका पंथ मानव जीवन को प्रकृति एवं पर्यावरण को बचाने के लिए प्राण न्यौछावर करने तक की प्रेरणा न केवल देता है बल्कि ऐसे अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत करता हैं। ये उदाहरण आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण व जीवों के प्रति संवेदनशील व समर्पित बनाने में सहायक होंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत 2018 प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ सं. 15
2. भारत 2018 प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ सं. 200
3. भारत 2018 प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ सं. 202
4. भारत 2018 प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ सं. 204
5. भारत 2018 प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ सं. 208
6. भारत 2018 प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ सं. 209
7. कृष्णानंद आचार्य (टीकाकार), जम्भ ागर, जम्भाणी साहित्य अकादमी, बीकानेर, राजस्थान, 2016
8. सूर्यशंकर पारीक, जांभोजी की वाणी (जीवनी, दर्शन और हिंदी अर्थ सहित मूलवाणी–पाठ) विकास प्रकाशन, बीकानेर, 2021
9. डॉ. सी. जय शंकर बाबु, पर्यावरण को बिश्नोई पंथ का योगदान (शोध आलेख), 2020.

❑❑❑